न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी - सुनील आर्य (R.A.S)

मु०नं० 05/2010

1- मानसिंह
2- रोशन
3- दामोदर

पुत्रान ब्राह्मण जाति गूजर निवासी गाजीपुर तह० बयाना जिला भरतपुर

- प्रार्थीगण

बनाम -

रा० सरकार जरिए तहसीलदार बयाना

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act

निर्णय :

दिनांक 01/02/21

प्रार्थीगण :

श्री मनोज पटेल एड० प्रार्थीगण

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act के तहत पेश कर निवेदन किया कि खेवट खतौनी सं० नई 15 पुरानी 06 में वाकेअ आ०रा०नं० 605/0.06, 857/1137/0.01, 907/0.19, 908/0.19, 909/0.25, 945/0.18, 1002/1.72, 1003/6.57, 1004/0.70, 857/1126/0.02 कुल कीता 10 कुल रकबा ~~1/100~~ 9.99 हैक्टेयर वाके ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना स्थित है जिसके प्रार्थीगण 1/100 हिस्से के रिकार्ड खातेदार, काश्तकार ... स्वत्वाधिकार 323/0.24, 324/0.24, 331/0.30, 332/0.01 वाके ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में स्थित है जिसके भी प्रार्थीगण अपने हिस्से के खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:39 IST
Reason: SelfAttested

काश्त करते थे। यह कृषि प्रार्थीगण ने भाई बट के हिस्से से उपरोक्त पुत्र छोटे व बाबू पितागण प्यारेलाल के नाम करा दी थी। विवादित आराजी रेवन्यू रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम भगवत दर्ज है। वास्तविक रूप से प्रार्थीगण के पिता का नाम झम्मन ही है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम भगवत दर्ज होने की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 20/12/2019 को हुई। इस गलत इन्द्राज से प्रार्थीगण को उपजिन क्षति हो रही है। यह त्रुटि रेवन्यू कर्मचारियों से सहवन वश हुई है।

प्रार्थीगण के बड़े भाई मूली का भी काफी समय पूर्व ला औलाद निसन्तान देहान्त हो गया है उसके हक प्रार्थीगण ही वारिसान है इसलिए इसका नाम प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर ख0नं0 615, $\frac{857}{1137}$, 907, 988, 995, 1002, 1003, 1004, $\frac{857}{1126}$ वाके ग्राम गाजीपुर तह0 बयाना में प्रार्थीगण के पिता का नाम भगवत के बजाय झम्मन दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र अनुसार तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बयाना के पत्रांक 1402/10/2905 दिनांक [illegible] बयाना की 11/10/10 से प्राप्त हुई। [illegible] 2064-67 ग्राम रिपोर्ट अनु[illegible] दिनांक '10 खाता 9.00 गाजीपुर के खाता [illegible] के साथ मूली, मानसिंह हे0पर अन्य खातेदारान [illegible] किशन, दामोदर पि0 भगवत हि0 1/108 दर्ज रिकार्ड है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

मतदाता पहचान पत्र अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम झम्मन दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई नकलें प्रस्तुत नहीं की है- जिससे प्रार्थीगण के पिता का सही नाम दर्ज हो।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को सुना। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख यथा जमाबन्दी 2051-70 (दाखा प्रति), 2064-2067, जमा दाखा प्रति सम्वत 1013, जमाबन्दी 2037-2040 का गहनता से अध्ययन किया। जमाबन्दी 2064-67 अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम भगवत, जमा0 2051-70 में भी भगवत दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2013 के भगवत व झम्मन व बीरबल पिसरान राम चन्द्र दर्ज है। अर्थात भगवत, झम्मन व बीरबल अलग-2 व्यक्ति है। भगवत व झम्मन एक ही व्यक्ति नहीं होकर अलग-2 है। जमाबन्दी 2037-2040 में भी प्रार्थीगण के पिता का नाम भी भगवत ही दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि भगवत व झम्मन एक ही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पिता का नाम भगवत के बजाय झम्मन किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज योग्य है।

आदेश:-

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर [illegible] आज दिनांक 01/02/21 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)